न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/22/2014	2014/00077	19–09–2014	11–02–2021

1– रमेशचन्द पुत्र श्री लक्ष्मण निवासी ग्राम सेवखेड़ा तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0 (मृतक)
1/1– श्रीमति संतोष देवी पत्नी स्व0 श्री रमेशचन्द
1/2– नवलसिंह पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द
1/3– नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द
1/4– सीमा पुत्री स्व0 श्री रमेशचन्द
1/5– पिंकी पुत्री स्व0 श्री रमेशचन्द
1/6– राजन पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द निवासी ग्राम सेवखेड़ा तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0 **–अपीलान्ट्स**

बनाम

1– इमरता पुत्र श्री छीतर जाति चमार,
2– रामोतार पुत्र श्री श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेवखेड़ा तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0 **–रेस्पाडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार किशनगढ़–बास का निर्णय दिनांक 23.07.2014 अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलान्ट्स
02 श्री अभयसिंह यादव –वकील रेस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 23.07.2014 जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून रैस्पो0 सं0 1 का प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 183बी आरटीएक्ट विरूद्ध रेस्पो0 सं0 2 निर्णित किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2014 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.09.2014 को हुई। अपील अंदर मियाद पेश की गई है। मियाद की छुट हेतु दफा 5 परिसीमा अधिनियम प्रा0पत्र पृथक से पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा ग्रम सेवखेड़ा तहसील किशनगढबास में स्थित है। जिस आराजी में से रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का 1/2 भाग अभिलिखित गैर खातदेार काश्तकार मामराज पुत्र छीतर जाति चमार (हरिजन) निवासी ग्राम सेवखेड़ा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर था। जिसमें उक्त आराजी को अन्य आराजी के साथ मिन अपीलांट को जरिये इकरारनामा दिनांक 12.06.2000 को विक्रय कर दिया। प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा ले लिया। जिस आराजी पर मिन अपीलांट्स का खरीद दिन से ही बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। बेचान के बाद से आदिनांक तक किसी दीगर व्यक्ति या संस्था का कोई लेना देना नहीं है। रैस्पो0 का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि रैस्पो0 सं0 1 ने माननीय जिला कलक्टर अलवर–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

के समक्ष प्रा0पत्र में विवादित आराजी 193 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से रैस्पो0 सं0 2 को कब्जा हटाये जाने का निवेदन किया गया है। सम्पूर्णय आराजी बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही कर खिलाफ कानून मौका अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मिन अपीलांट पीडित पक्षकार है। इसलिए श्रीमान् के न्यायालय में अपील पेश करना आवश्यक था। रैस्पो0 सं0 1 ने समस्त जानकारी होने के उपरांत ही मिन अपीलांट को तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। अपीलाधीन निर्णय से मिन अपीलांट के अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में मिन अपीलांट पक्षकार नहीं था। इसलिए अपील पेश करने की इजाजत वास्ते प्रा0पत्र जेरदफा 96 सीपीसी पृथक से पेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया ना ही रैस्पो0 से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य ली गई और ना ही मिन अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका एवं साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों एवं आरटीएक्ट 1955 के प्रावधानों के विपरित बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.07.2014 खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट का प्रकरण व विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है। इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं थी। अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अपीलांट ने अपने हक में दिनांक 12.06.2000 को इकरारनामा होना बताया है। इकरारनामे के अनुसार अपीलांट को कोई कब्जा ना तो दिया है, ना कानूनन दिया जा सकता है। गैर खातेदारी की आराजी का कानूनन बेचान नहीं किया जा सकता, ना ही इकरारनामे के आधार पर अपीलांट कोई विधिक अधिकार प्राप्त होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चूंकि विवादित आराजी अपीलांट द्वारा इकरारनामा दिनांक 12.06.2000 के आधार पर खरीद की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को कानूनन पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा इकरारनामे के अनुसार अपीलांट को कोई कब्जा ना तो दिया है और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से ना ही अपीलांट का कोई कब्जा होना जाहिर होता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 15.09.2014 को अपील पेश की गयी है। जो करीब 1 माह 22 दिन के विलम्ब से पेश की गयी है जबकि देरी होने का दिन प्रतिदिन का कोई युक्तियुक्त कारण अपील में दर्ज नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

11/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)